



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072022-237443
CG-DL-E-22072022-237443

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3167]
No. 3167]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2022/आषाढ़ 31, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2022/ASHADHA 31, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022

का.आ. 3328(अ).—जबकि, केंद्र सरकार ने दिनांक 24 सितम्बर, 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 18 के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत स्वायत्त बोर्डों का गठन किया।

2. अब, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 18 के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में निम्नलिखित पूर्णकालिक सदस्य नियुक्ति करती है।

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 24 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3261(अ) में:-

पैराग्राफ 4 में, क्रमांक 4 के तहत, उसकी प्रविष्टियां निम्नानुसार होंगी, नामतः

क्र. सं.	सदस्य का नाम	सदस्यता का स्तर
(1)	(2)	(3)
चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड		
धारा 17 की उप-धारा (3) के तहत (पूर्णकालिक सदस्य)		
4.	डॉ. जे. एल. मीणा, डिवीजन हेड और संयुक्त निदेशक, सेवा प्रदाता कार्य, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य

4. उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की अवधि के लिए, या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।

[फा. सं. वी. 11013/01/2019-एमईपी]

वी. हेकाली झिमोमी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2022

S.O. 3328(E).—Whereas on 24th September, 2020, the Central Government constituted Autonomous Boards under sub-section (1) of section 16 read with section 18 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019).

2. Now, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 read with section 18 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government hereby makes the appointment of following Whole-Time Member in the Medical Assessment and Rating Board, National Medical Commission.

3. In the Notification of the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India number S.O. 3261(E) dated 24th September, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii):-

In paragraph 4, under the serial number 4, the entries thereto shall be as follows, namely:

Serial number	Name of Member	Status of membership
(1)	(2)	(3)
Medical Assessment and Rating Board		
Under sub-section (3) of Section 17 (Whole-time Member)		
4.	Dr. J. L. Meena, Division Head & Joint Director, Service Provider Engagement, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, National Health Authority, New Delhi	Member

4. The aforementioned appointee shall hold office for a term of four years with effect from the date of assumption of charge of the post, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No.V.11013/01/2019-MEP]

V. HEKALI ZHIMOMI, Jt. Secy.